न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2024	सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक दौसा बनाम अंगद पुत्र जयदेव मीणा किस्म मुकदमा : इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा एक्ट मु0नं0 18/2014 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल अंगद पुत्र जयदेव मीणा निवासी कालीखाड थाना नांगल राजावतान जिला दौसा के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने बाबत इस्तगासा जरिये पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा दिनांक 21.2.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल की तलबी हेतु जारी नोटिस की तामील में अंकितानुसार गैरसायल अंगद जिला कारागृह दौसा में निरूद्ध है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः इस्तागासा इस आशय के साथ खारिज किया जाता है कि गैरसायल के सम्बन्ध में नवीन अपराधिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार अपेक्षित हो तो नवीन इस्तगासा पेश किया जा सकता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 27.5.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2024.06.07 18:09:29 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official